बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :– 2/अ0प्र0–1–90/2020 45 /पटना, दिनांक :– 31.8.2020

चूँकि विभाग को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता द्वारा अपने सेवापुस्त में प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) के द्वारा अंकित टिप्पणी को हरे रंग के कलम से कटिंग किया गया है जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिये विभाग ने निर्णय लिया है कि श्री मिश्र के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, तदेन कनीय अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) का कार्यालय संप्रति कनीय अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

एतद् आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

31/08/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–90/2020 1429 (अनु०)/पटना, दिनांक :– 31.8.2020

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

31/08/2020

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com, & secy-reo-bih@nic.in

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–90/2020 1429 (अनु0) /पटना, दिनांक :– 31.8.2020

प्रतिलिपि आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, तदेन कनीय अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) का कार्यालय संप्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कार्रवाई

(ह0) 31/08/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–90/2020 1429 /पटना, दिनांक :– 31.8.2020

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर/प्रशाखा पदाधिकारी–7/4 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कार्रवाई

(ह0) 31/08/2020

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com, & secy-reo-bih@nic.in

बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली 2017 के आलोक में श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन।

भाग–1– आरोपित सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

आरोप पत्र

1. नाम :– श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र
2. पदनाम :– कनीय अभियन्ता
3. जन्म तिथि :–
4. सेवानिवृति की तिथि :– 31.08.2020
5. सेवा/संवर्ग का नाम :– बिहार अवर अभियंत्रण सेवा
6. पद समूह एवं विभाग :– ग्रामीण कार्य विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक :– ....
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर :–
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन :– 2019–20/प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) का कार्यालय
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कालबाधित होने की तिथि :– लागू नहीं है

31/08/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियन्ता प्रमुख

भाग–2–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) के पत्रांक–846 दिनांक–20.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–23.02.2019 को श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता के सेवापुस्त में अंकित की गयी टिप्पणी को श्री मिश्र द्वारा हरे रंग के कलम से कटिंग किया गया है। श्री मिश्र द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में उक्त आरोप को स्वीकार किया गया है।
2. उक्त से स्पष्ट है कि श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता द्वारा अपनी सेवापुस्त में कटिंग करना सरकारी सेवक के कार्य और आचरण के विरूद्ध है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

31/08/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियन्ता प्रमुख

भाग–3–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) के पत्रांक–846 दिनांक–20.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–23.02.2019 को श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता के सेवापुस्त में अंकित की गयी टिप्पणी को श्री मिश्र द्वारा हरे रंग के कलम से कटिंग किया गया है। श्री मिश्र द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में उक्त आरोप को स्वीकार किया गया है।
2. उक्त से स्पष्ट है कि श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता द्वारा अपनी सेवापुस्त में कटिंग करना सरकारी सेवक के कार्य और आचरण के विरूद्ध है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

31/08/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियन्ता प्रमुख

भाग–4–(क) साक्ष्यों/दस्तावेजों की सूची

क्र०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) का पत्रांक–846 दिनांक–20.09.2019, विभागीय पत्रांक–2736 दिनांक–16.06.2020, श्री मिश्र का स्पष्टीकरण दिनांक–26.08.2020 एवं श्री मिश्र के सेवापुस्त के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति।	कुल– 5 पृष्ठ

31/08/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियन्ता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

178

पत्रांक :– 4/अ0प्र0–01–04/2018 2736 अनु0 पटना, दिनांक–16/6/2020

प्रेषकः–

प्रवीण कुमार ठाकुर,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, (कनीय अभियंता)
निलंबित पिता–स्व0 उपेन्द्र मिश्र,
ग्राम/नगर–तेघड़ा, पोस्ट–हवेली खड़गपुर,
थाना–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर

विषयः– सेवापुस्त में कटिंग (कटाई) करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी घाटकुसुम्बा जिला–शेखपुरा द्वारा आपके सेवापुस्त में जो सूचनाएं दिनांक–23.02.2019 अंकित की गयी थी, उसमें आपके द्वारा दो स्थानों पर कटिंग किया गया है। उक्त की सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी घाटकुसुम्बा जिला–शेखपुरा ने अपने पत्रांक–846 दिनांक–20.09.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रति संलग्न है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–23.02.2019 को अद्योहस्ताक्षरी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी घाटकुसुम्बा जिला–शेखपुरा) के द्वारा जो सेवापुस्त में अंकित किया गया था उसे श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा हरे रंग के कलम से कटिंग किया गया है जो निंदा योग्य है।

सेवापुस्त में आपके द्वारा कटिंग करना सरकारी सेवक के कार्य और आचरण के विरूद्ध है। अर्थात आपके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में कृपया स्पष्ट करें कि आपके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत क्यों नहीं अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/06/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–4/अ0प्र0–01–04/2018 2736 पटना, दिनांक– 16/6/2020

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अनुलग्नक सहित पत्र की प्रति श्री मिश्र को उपलब्ध कराते हुये स्पष्टीकरण देने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

16/06/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–4/अ0प्र0–01–04/2018 2736 पटना, दिनांक–16/6/2020

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त।

16/06/2020

अभियंता प्रमुख

20/06/20

पूर्व पृष्ठ से आगामी टिप्पणी।

श्री मिश्र, क०अ० के पदस्थापन पर विचार हेतु सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। शेष कार्रवाई पदस्थापन के पश्चात की जायगी।

प्रस्तुत।

ह० 26/8/20

अभि० प्रमुख

पृष्ठ 32/टि0 से लगातार टिप्पणी।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–533 दिनांक 28.06.2011 सहपठित ज्ञापांक 8882 दिनांक 28.06.2011 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यालय जलालपुर का स्थानांतरण कार्य प्रमंडल–2, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधेपुरा किया गया था। उक्त आदेश के आलोक में श्री मिश्र, प्रखंड कार्यालय जलालपुर से विरमित होकर लगभग 7 वर्ष बाद ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल उदाकिशनगंज में योगदान देने गये। लेकिन कार्यपालक अभियंता द्वारा श्री मिश्र के योगदान को स्वीकृत न करके विभाग द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया।

दिनांक 01.04.2012 से कार्य प्रमंडल–2, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधेपुरा का नाम परिवर्तित होकर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल उदाकिशनगंज होने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा योगदान स्वीकृत नहीं किया गया।

विभाग द्वारा श्री मिश्र के सेवा की जाँच हेतु सेवापुस्त मंगाया गया है। सेवापुस्त में बिहार सेवा संहित के अध्याय 9 के सुसंगत नियमों के अनुकूल प्रविष्टि नहीं रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी जलालपुर को सेवापुस्त की जाँच विभिन्न स्थानों से कराते हुए बिहार सेवा संहित के नियमों के आलोक में सेवापुस्त में वांछित प्रविष्टि कर भेजने का अनुरोध किया गया हैं। दिनांक 09.06.2020 को पुनः विभाग को श्री मिश्र का प्राप्त सेवापुस्त के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि बिहार सेवा संहिता के नियमों के आलोक में सभी वांछित प्रविष्टि नहीं की गयी है।

P.T.O

प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटकुसुम्भा (शेखपुरा) ने पत्रांक 846 दिनांक 20.09.2019 द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उनके द्वारा श्री मिश्र के सेवापुस्त में की गयी प्रविष्टि को श्री मिश्र द्वारा कटिंग किया गया। इस संबंध में श्री मिश्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री मिश्र द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटकुसुम्भा द्वारा लगाये गये आरोप को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा यह कहा गया है कि सेवापुस्त में गलत प्रविष्टि दर्ज होने के कारण अज्ञानतावश कटिंग किया गया है। अर्थात श्री मिश्र द्वारा सेवापुस्त में कटिंग किया गया है। श्री मिश्र कनीय अभियंता के इस प्रकार के कृत्य के लिए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई संचालित की जा सकती है।

दिनांक 24.08.2020 एवं 26.08.2020 के अभ्यावेदन में श्री मिश्र द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे दिनांक 31.08.2020 को सेवानिवृत होने वाले है और उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि गृह जिला एवं इसके ईद गिर्द पदस्थापित किया जाये। विभाग द्वारा भविष्य में जो कार्रवाई की जायेगी, उनके द्वारा मान्य होगा।

उल्लेखनीय है कि श्री मिश्र, कनीय अभियंता दिनांक 31.08.2020 अर्थात 5 दिनों के बाद सेवानिवृत होने वाले है। इसलिए इनका पदस्थापन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि इनका अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान हो सके। ज्ञातव्य हो कि विभागीय मुख्यालय अन्तर्गत कनीय अभियंता का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में श्री मिश्र, कनीय अभियंता के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में इनके आसन्न सेवानिवृति को देखते हुए तत्काल इनको कार्य प्रमंडल मुंगेर के कार्य प्रशाखा वरियारपुर–1 में पदस्थापित किया जा सकता है।

26/08/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

सचिव

27/08/2020

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा (शेखपुरा)

पत्रांक 846/

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
घाटकुसुम्भा (शेखपुरा)

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

घाटकुसुम्भा, दिनांक 20/09/19

विषयः– कार्यालय पत्रांक 575, दिनांक 27.06.2019 की पठनीय प्रति भेजने के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक– 4/अ0प्र0–01–04/2018 6476, पटना, दिनांक– 10.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित किया जाता है कि श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र तत्कालीन कनीय अभियंता, से संबंधित अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में कोई संचिका संधारित नही है। श्री मिश्र से संबंधित जो भी टिप्पणी अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा की गई है वह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त सेवापुस्त के आलोक में एवं वेतन भरपाई पंजी के आधार पर अंकित किया गया हैं।

अतः सेवापुस्त में अंकित टिप्पणी के अलावे और कोई टिप्पणी करना अद्योहस्ताक्षरी के जानकारी से परे होगा। दिनांक 23/02/2019 को अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा जो सेवापुस्त में अंकित किया गया था उसे श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा हरे रंग के कलम से कटिंग किया गया है जो निन्दा योग्य है।

उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
21 SEP 2019
2279

विश्वासभाजन

20/9/19

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
घाटकुसुम्भा।

(211) (6)

सेवा में,

श्रीमान् अभियंता प्रमुख महोदय,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना।

प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग
26 AUG 2020
संख्या..........
बिहार, पटना

विषयः— **स्पष्टीकरण से मुक्त करते हुए पदस्थापन के संबंध में।**

प्रसंगः— **आपका पत्रांक—4/अ0 प्र0—01—04/2018 2736 अनु0 दिनांक—16/06/2020**

महाशय,

सविनय निवेदन है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा के द्वारा हाथोंहाथ मुझे मुल सेवा पुस्त उपलब्ध कराया गया एवं प्रविष्टि को पढ़ने से स्पष्ट हुआ कि श्रीमान् प्र0 वि0 पदा0 (घाटकुसुम्भा) के द्वारा मेरे मूल सेवा पुस्त में प्रतिकूल टिपण्णी की गयी है। श्रीमान् प्र वि0 पदा0 के द्वारा सेवा पुस्त में प्रविष्टि करने के कारण अज्ञानतावश उनके द्वारा की गयीगलत प्रविष्टि को मेरे द्वारा हरे रंग के कलम से कटिंग किया गया है।

भवदीय से दिनांक—18/8/2020 को ही वार्ता के आलोक में आवेदन पत्र के साथ पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं वरीयता क्रमांक की सूची संलग्न कर रहा हूँ। नियुक्ति पत्र ज्ञापांक—9757 दिनांक—29/12/1987 एवं वरीयता क्रमांक—1640 दिनांक—14/05/2009 की प्रति संलग्न कर रहा हूँ। नियुक्ति पत्र के क्रमांक—1203 एवं वरीयता क्रमांक—2404 में मेरा नाम अंकित है। शेष कागजात पटना में उपलब्ध नहीं रहने के कारण संलग्न नहीं कर रहा हूँ। आवश्यकताहनुसार अन्य कागजात माँगे जाने पर विभाग को उपलब्ध करा दूँगा। विभाग द्वारा भविष्य में जो भी कार्रवाई की जायगी, वह मुझे मान्य होगा।

वीरेन्द्र कुमार मिश्र

210 (5)

मेरी सेवा निवृति की तिथि दिनांक–31 अगस्त 2020 है। कोविड–19 के कारण लॉकडाउन घोषित होने के कारण विलम्ब से स्पष्टीकरण जमा कर रहा हूँ।

अतः भवदीय से सादर विनम्र निवेदन है कि मुझे स्पष्टीकरण से मुक्त करते हुए सेवा निवृति के पूर्व गृह जिला में अथवा इसके इर्द गिर्द मेरा पदस्थापन करने की कृपा प्रदान की जाय। श्रीमान् के इस पुनीत कार्य के लिए मैं सदा उनका आजीवन आभारी बना रहूँगा।

आपका विश्वास भाजन

बीरेन्द्र कुमार मिश्र 26/8/2020

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(बीरेन्द्र कुमार मिश्र)
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
~~दिनांक 21/08/2020~~
मो० → 7654203534
8709189167

...का हस्ताक्षर	नियुक्ति की समाप्ति की तारीख	समाप्ति का कारण (जैसे) प्रोन्नति, स्थानान्तरण, पदच्युति	कार्यालय-प्रधान या अन्य अनुप्रमाणन पदाधिकारी का हस्ताक्षर	छुट्टी-(i) ली गई छुट्टी का प्रकार और अवधि (ii) चार मास तक औसत वेतन छुट्टी के लिए आवेदन जिसके लिए छुट्टी वेतन दूसरी सरकार के नाम विकलनीय है (क) अवधि (ख) जिस सरकार के नाम विकलनीय है।	कार्यालय-प्रधान या अन्य अनुप्रमाणन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	सरकारी सेवक को दिए गए किसी अभिलिखित पुरस्कार या इनाम का उल्लेख।
	10	11	12	13	14	15

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा के ज्ञापांक 498 दिनांक-15/4/2002 के क्रम में श्री ... कुमार मिश्र द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, घाट कुसुम्भा में कनीय अभियंता, 2505, N.R.E.P. के पद पर दिनांक-03-05-2002 के पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया। ~~[illegible]~~

(हस्ताक्षर) 23.02.019

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
घाट कुसुम्भा (शेखपुरा)
23.2.19

इनके सेवा का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी के आधार पर दिनांक-03-05-2002 से 28-02-2007 तक किया गया एवं सही पाया। माह फरवरी 2003 एवं माह फरवरी 2006 को छोड़कर। (भौतिक विवरणी नहीं देने के कारण)

(हस्ताक्षर) 23.02.019

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
घाट कुसुम्भा (शेखपुरा)
23.2.19

इन्हें दिनांक-06-09-2008 के अपराह्न में उपविकास आयुक्त, सारण (छपरा) के कार्यालय में कनीय अभियंता, 2505 NREP के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया गया। एवं दिनांक 01-03-2007 से 06-09-2008 तक की कार्य अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया। (वेतन भुगतान के अभाव में) ~~[illegible]~~

(हस्ताक्षर) 23.02.019

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
घाट कुसुम्भा (शेखपुरा)
23.2.19